


कार्यालय, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

--: संशोधन आदेश ::--

इस कार्यालय द्वारा व्याख्याता स्कूल शिक्षा के विभिन्न आदेश जारी किये गये थे, में संबंधित कार्मिक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर कॉलम संख्या 5 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

क्र स	नाम कार्मिक	विषय	मूल आदेश क्रमांक/दिनांक	जारी संशोधन जो किया जाना है
1	2	3	4	5
1	राजश्री राठौड़	वालीबॉल कोच	शिविरा/माध्य/संस्था /सी-5/नियुक्ति- प्राध्यापक कोच-वॉलीबॉल/पीएससी-2013 दिनांक:- 5.10.18	क्रमांक:- शिविरा/माध्य/संस्था /सी-5/नियुक्ति- प्राध्यापक कोच-फुटबॉल/पीएससी-2013 दिनांक:- 5.10.18 में फुटबॉल के स्थान पर वॉलीबॉल पढा जावे।


शेष शर्तें मूल आदेशानुसार यथावत रहेंगी।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर
दिनांक 22/4/19

क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-5/संशोधन/18

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा।
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) मा.शि./मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
5. संबंधित प्रधानाचार्य/संबंधित आशार्थी।
6. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर